राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 017/2019 अनवान शेरसिंह बनाम कालूराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी[illegible] जो इस हुक्म [illegible] मे जारी
06.02.2020	उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा कोरट की अदायगी की जाकर जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई समायत बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी सुरजीत सिंह पुत्र श्री गुरबक्शसिंह जाति तरखान निवासी पक्कासारना तहसील व जिला हनुमानगढ़ को पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित पाये जानें पर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सुरजीतसिंह को अप्रार्थी संख्या 3 के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है शीर्षक में लाल स्याही से अंकन किया जावे। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस के दौरान यह तथ्य भी सामनें आया कि उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के सन्दर्भ में एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए/आर.टी.ए. अनवान सुरजीतसिंह बनाम कालूराम आदि प्रकरण संख्या 291/2018 विचाराधीन है, जो सुरजीतसिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थी शेरसिंह भी उस प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 4 के रूप में प्रतिस्थापित है। अतः एक ही खाते की भूमि के एक सहखातेदारान द्वारा दो अलग अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है, जिनका निस्तारण भी एक साथ ही होना है। अतः उक्त पत्रावली को पूर्व प्रकरण संख्या 291/2018 के साथ संलग्न किया जाना न्यायोचित होने से इस प्रार्थना पत्र में वर्तमान स्तर पर कार्यवाही स्थगित की जाकर पूर्व प्रकरण संख्या 291/2018 में निर्णय के साथ निर्णित किया जावेगा। इस आदेश की एक प्रति प्रकरण संख्या 291/2018 में भी संलग्न रखी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पूर्व प्रकरण संख्या 291/2018 के साथ संलग्न हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (कपिल यादव) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner
Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.04.09 12:38:51 IST
Reason: SelfAttested